क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1439 / 2015 / दिनांकः 06.11.2015

12715

श्री विवेक बंसल,
जे0–6, प्रथम तल,
जहांगीर पुरी,
दिल्ली–110033.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री विवेक बंसल, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 01–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 05.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री विवेक बंसल, उपस्थित हुए एवं श्री चतर सिंह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0), चतुर्थ जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुईं ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 21.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसका जवाब सही नहीं मिलने के कारण यह अपील दिनांक 01.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील के दौरान अपीलकर्ता ने कहा कि उसने जनसूचना अधिकारीं के कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिनांक 21.07.2015 को दिया था किन्तु दिनांक 05.10.2015 को उत्तर दिया गया जो कि तर्कसंगत नहीं है । सहायक जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)–चतुर्थ ने बताया कि यह सूचना थर्ड पार्टी से सम्बन्धित है इस कारण थर्ड पार्टी से सूचना प्राप्त करने में विलम्ब हुआ एवं थर्ड पार्टी ने सूचना देने के लिए मना कर दिया । इस कारण सूचना प्रदान नहीं की जा सकती ।

जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के अन्तर्गत थर्ड पार्टी सम्बन्धित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्पूर्ण सूचना इस आदेश के पारित होने के बीस दिन के अन्दर अपीलकर्त्ता को प्रदान करें । अपीलकर्ता को यह भी सलाह दी गई कि अगर उन्हें कोई अन्य शिकायत है तो अलग से एक शिकायत निदेशक (सतर्कता), दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में दें, उसकी नियमानुसार जांच की जाएगी ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

5729
09/11/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री विवके बंसल, जे0–6, प्रथम तल, जहांगीर पुरी, दिल्ली–110033.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) उ0 / उ0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0)–चतुर्थ, केवल पार्क ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

16-11-15

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी